

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023—भाद्र 17, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2023

क्र. एफ-16-02-2022-एक-4.—राज्य शासन द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी, 2023 के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित "मध्यप्रदेश भवन एवं मध्यांचल अधिवास नियम, 2022" के परिशिष्ट-दो के अनुक्रमांक-5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :—

अनुक्रमांक	प्रवर्ग	अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)
5.	मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं लोकतंत्र सेनानी.	उपरोक्त अनुक्रमांक-1 के अनुसार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.